# अधिसूचना


# नई दिल्ली, 14 मार्च, 2016

सा.का.नि. 297(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (5) द्वारा घटन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, सहायक निदेशक (विधि) (समूह 'ख' यद) भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय में सहायक निदेशक (विधि) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय, सहायक निदेशक (विधि) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2016 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन वैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान. उक्त पट की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन वैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे हींगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निर्रहता.-वह व्यक्ति, -
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है: उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।



व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आय्-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्सीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकी और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

| पद का नाम           | पदों की संख्या       | वर्गीकरण                     | वेतन बैंड और ग्रेड<br>वेतन या वेतनमान | चयन अथवा<br>अचयन पद   |
|---------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| (1)                 | (2)                  | (3)                          | (4)                                   | (5)                   |
| सहायक निदेशक (विधि) | 02*(2016)            | साधारण केन्द्रीय सेवा. समूह- | वेतन बैंड-2,                          | े लागू नहीं होता      |
|                     | *कार्यभार के आधार पर | 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय    | 9300-34800 रुपए -                     | 4                     |
|                     | परिवर्तन किया जा     |                              | ग्रेड वेतन 4800 रुपए                  |                       |
|                     | सकता है।             |                              |                                       | - Across and a second |

| लागू नहीं होता         | लागू नहीं होता             | लागू नहीं होता लागू नहीं होता                                    |
|------------------------|----------------------------|--|
| (6)                    | (7)                        | (8)  |
| आयु-सीमा               |                            | व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं                          |
| वाले व्यक्तियों के लिए | व्यक्तियों के लिए अपेक्षित | विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत कोई हो                    |
|                        |                            | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परीवीक्षा की अवधि यदि |

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नित या प्रतिनियक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नित या प्रतिनियक्ति या आमेलन किया जाएगा

(10)

अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायन और कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी:

- (ख) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं: या
  - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रुपए ग्रेड वेतन 4600 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है: या
  - (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए ग्रेड बेतन 4200 रुपए या समतुत्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; या
- (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: आवश्यक:
- (i) किसी भी विषय में स्नातक + विधि में बैचलर डिग्री एवं किसी सरकारी संगठन में मुक्दमेवाजी करने और न्यायालय मामले/ विधि के प्रशासन का एक वर्ष का अनुभव; या
- (ii) विधि (पांचे वर्षीय पाठ्यक्रम) में स्वीकृत डिग्री किसी सरकारी संगठन में विधि के ! मुकदमेबाजी करने और न्यायालय मामले/विधि के प्रशासन का दो वर्ष का अनुभव।

## वांछनीय अर्हता:

- (i) कारपोरेट/दांडिक विधि के मामले में एक वर्ष का अतिरिक्त अनुभव।
- (ii) विधि में मास्टर (एलएलएम)

टिप्पण 1 – प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिणों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा की सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद या उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

टिप्पण 2 - प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनिर्युक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के व्यिष्ट अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| यदि विभागीय प्रोन्नित समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श<br>किया जाएगा |
|---|--|
| (12)  | (13)   |
| लागू नहीं होता                                | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।                                   |

[फा. सं. ए. 35011/28/2009-प्रशा. 111

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

## New Delhi, the 14th March, 2016

G.S.R. 297(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act. 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Company Affairs Group "B" Post Gazetted Assistant Director (Law) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Law) in the Ministry of Corporate Affairs. Serious Fraud Investigation Office, namely:

- Short title and commencement,-(1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs. Serious Fraud Investigation Office, Assistant Director (Law), Group 'B' Post Recruitment Rules, 2016.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of said post, classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**-The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications.-No person. -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**-Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.-Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## **SCHEDULE**

| Name of the post.                | Number of post.   | Classification.  | Pay band and grade pay or pay scale.                     | Whether selection post or non-selection post. |
|----------------------------------|---|--|--|---|
| (1)                              | (2)   | (3)  | (4)  | (5)   |
| Assistant<br>Director<br>(Law ). | 02 * (2016)  *subject to variation dependent on the workload. | General Central Service, Group-1B1 Gazetted, Non- Ministerial. | Pay band-2<br>Rs. 9300-34800 plus<br>grade pay Rs. 4800. | Not applicable                                |

| Age-limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. |                |
|--------------------------------|--|--|----------------|
| (6)                            | (7)  | (8)  | (9)            |
| Not applicable                 | Not applicable   | Not applicable   | Not applicable |

| Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.   |
|---|--|
| (10)  | (11)   |
| Deputation (Including Short-term  | Deputation (Including Short-term Contract)   |
| Contract).  | Officers from the Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Autonomous and Statutory bodies  (A)(I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or |
|   | (II) with two years' service in the grade rendered after appointing thereto on a regular basis in the pay band-2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and                    |
|   | (III) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band -2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or department; and                 |
|   | (B) possessing the following educational qualifications and experience   |
|   | Essential  |
| 4 · 4:  | (1) Graduate in any discipline plus Bachelor's degree in Law plus one year experience in handling litigation and court matters'administration of Law in a Government organisation; or  |
|   | (II) Integrated graduate in Law (five years' duration) plus two years' experience in handling litigation and court matters/administration of Law in a Government organization.  Desirable Qualification                            |

(II) Masters' in Law (LLM)

(1) Additional one year experience in corporate/criminal Law matters

Note: [i] For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended, based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any appgradation.

(ii) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three yeaRs. The maximum Age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|--|
| (12)  | (13)   |
| Not applicable  | Consultation with Union Public Service Commission necessary.                                     |
|   |  |

[F. No. A.35011/28/2009-Adm.HI]
MANOJ KUMAR, Jt. Seev.